कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र ।
पत्रांक–1630/ रेनुकूट / 15–295 दिनांक,रेनुकूट,नवम्बर, 17 2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
पी0.एम0जी0एस0वाई,खण्ड
लोक निर्माण विभाग,सोनभद्र ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर0एस0रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के संबंध मे । (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/118819/2021)

संदर्भः– 1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/669 दिनांक– 04.11.2022
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 1608/11–सी– **FP/UP/ROAD/118819/2021** लखनऊ दिनांक– 07.11.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 04.11.2022 जो मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ उ0प्र0 को सम्बोधित है तथा आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें । भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 04.11.2022 द्वारा 28 (अठ्ठाइस) शर्तो के अधीन जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर0एस0रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षो/पौधो के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक– 04.11.2022 में अंकित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में निम्नानुसार पॉच प्रतियों में आवश्यक अभिलेखो सहित उपलबध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित किया जा सकें :–

क्र0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/669 दिनांक– 04.11.2022 में अंकित शतो का विवरण	अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना है उसका विवरण
1	**2**	**3**
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के क्रम में इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाय कि प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में **हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण रहित कब्जा आदि संबंधी समस्त औपचारिकताये पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही वन भूमि का हस्तान्तरण नियमानुसार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।**

<table>
<tr>
<td>3</td>
<td>Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 14.5603 ha. Equivalent non forest land in Range Myourpur. Village Katauli (6.56 ha) . Range Dudhi Village Baheradol (8.0003) District-Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be evoided.</td>
<td>इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे0 के सापेक्ष कुल 14.5603 हे0 गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम–कटौधी, एवं बहेराडोल में वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है । उक्त गैर वन भूमि का वन विभाग के नाम <u>हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण रहित कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरान्त वन विभाग द्वारा स्थानीय मिश्रित प्रजाति के पौधो का वृक्षारोपण किया जायेगा ।</u></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval . A copy of the original notification declaring the non forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.</td>
<td>इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष कुल 14.5603 हे0 गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>रेंज का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)</th></tr>
<tr><td>म्योरपुर</td><td>कटौधी</td><td>6.5600</td></tr>
<tr><td>दुद्धी</td><td>बहेराडोल</td><td>8.0003</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल योग–</td><td>14.5603</td></tr>
</table>
<u>उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग उ0प्र0 सरकार रेनुकूट वन प्रभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण रहित कब्जा प्राप्त कराते हुए उससे संबंधित खतौनी , प्रपत्र–7 व 14 तथा प्रस्तावित क्षेत्र को 100 प्रतिशत स्केल पर चिन्हित कराते हुए ड्रेसिंग क्लाथ मानचित्र की 6–6 प्रति वियरिंग चार्ट सहित उपलब्ध करायी जाय ताकि उसे धारा–4/29 के तहत प्रस्ताव प्रेषित करते हुए विज्ञप्ति जारी कराया जा सके ।</u></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the projet authority. The CA plantation will be maintained for 10 years . The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.</td>
<td>इस बिन्दु के क्रम में परियोजना में प्रभावित 14.5603 हे0 वन भूमि के सापेक्ष रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत ग्राम–कटौधी मे 6.5600 हे0 व दुद्धी रेंज अन्तर्गत ग्राम–बहेराडोल मे 8.0003 हे0 कुल 14.5603 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है । उक्त प्रस्तावित क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न व्यय अनुमान पत्र में अंकित निर्धारित धनराशि रू0 1968116.00 <u>(मु0 उन्नीस लाख अड़सठ हजार एक सौ सोलह मात्र)</u> परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय ।</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 14.5603 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008,</td>
<td>इस बिन्दु के क्रम में प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न भाग–।। (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा गया है) में हरियाली धनत्व 0.8 अंकित किया गया है जो अत्यन्त सघन वन की श्रेणी में आता है । भारत सरकार के पत्र दिनांक– 06.01.2022 में इको क्लास</td>
</tr>
</table>

	24/04/2008 and 09/05/2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	–III Tropical Dry Deciduous Forests (Very Dense Forest) के लिए एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 1357110 प्रति हे0 निर्धारित किया गया है । अतः परियोजना में प्रभावित 14. 5603 हे0 आरक्षित वन भूमि का वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि 14.5603 हे0 X 1357110 प्रति हे0 = रू0 19759928.73 या **19759929.00** (मु0 एक करोड़ सन्तानवे लाख उन्सठ हजार नौ सौ उन्तीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय ।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to the effect.	इस बिन्दु के क्रम में इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायी जाय कि एन0पी0वी0 की धनरशि में यदि भविष्य में कोई बढोतरी होती है तो उसे जमा किया जायेगा ।
8	User agency shall restrict the felling of trees to 758 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department .	इस शर्त के क्रम में परियोजना में प्रभावित 758 वृक्षो का गणना/छपान किया जाना है । मुख्य वन संरक्षक ,मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा वानिकी कार्यो की पुनरीक्षित अनुसूचित दरें रू0 201/–प्रतिदिन मजदूरी के अनुसार छपान हेतु **7.15 प्रति** पौध कोलतार का कीमत एवं सामग्री व श्रमांश सहित निर्धारित किया गया है । अतः निम्नानुसार निर्धारित धनराशि का बैक ड्राफ्ट उपलबध कराने का कष्ट करें :– पातन हेतु प्रभावित वृक्षो की कुल संख्या: 758 — गणना/छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पौध: 7.15/– — गणना/छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि: 5419.70 या 5420/– उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि रू0 **5420**/–(पॉच हजार चार सौ बीस मात्र) का **बैंक डाफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पद नाम से** बना हो तथा भारतीय स्टेट बैंक रावर्टसगंज शाखा पर देय हो उपलब्ध कराया जाय । उक्त के अतिरिक्त इस आशय की **वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय कि प्रभावित वृक्षो के पातन एवं ढुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित धनराशि उ0प्र0 वन निगम रेनुकूट द्वारा मॉग किये जाने पर उसे स–समय जमा किया जायेगा ।**
9	The Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के क्रम में जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से जारी वांछित प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायी जाय ।

Nested table in item 8:

पातन हेतु प्रभावित वृक्षो की कुल संख्या	गणना/छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पौध	गणना/छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि
758	7.15/–	5419.70 या 5420/–

10	N0 violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	इस बिन्दु के क्रम मे इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय कि प्रस्तावित वन भूमि मे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंधन करते हुए कोई कार्य नही किया गया है ।
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median(if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015	इस बिन्दु के क्रम मे प्रश्नगत परियोजना मे रोड के दोनो साईड वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख है किन्तु रोड के दोनो साइड प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रजाति के पौधो उपलब्ध है इस कारण प्रश्नतगत परियोजना मे वनीकरण हेतु कोई भी परियोजना प्रस्तावित नही किया गया है ।
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस बिन्दु के क्रम मे इस आशय की वचनबद्धता उपलब्ध करायी जाय कि प्रस्तावित वन क्षेत्रो मे नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जायेंगे ।
13	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस बिन्दु के क्रम मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CWLW/NBWL/FAC/REC. की सिफारिशो के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रो मे उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध करायेगी ।
14	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable .	इस बिन्दु के क्रम मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानो के अनुसार (यदि लागू हो तो) पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर उपलब्ध करायी जायेगी ।
15	The layout plan of the proposal shall not be change without proior approval of Central Government .	इस बिन्दु के क्रम मे इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा ।
16 .	No labour camp shall be established on the forest land	इस बिन्दु के क्रम मे इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा ।
17	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel .	इस बिन्दु के क्रम मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से खरीदने के बाद श्रमिक को पर्याप्त जलाऊ लकड़ी उपलब्ध करायी जायेगी ।
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost .as per the directions of the concerened Divisional Forest officer .	इस बिन्दु के क्रम मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि की सीमा का उपयुक्त सीमांकन वन विभाग रेनुकूट वन प्रभाग के निर्देशानुसार किया जायेगा ।
19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के क्रम मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन पथ का निर्माण नही किया जायेगा ।
20	The period of diversion this approval shall be co –terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के क्रम मे प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष मे दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सह टर्मिनस होगी ।

21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के क्रम मे इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय कि प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव मे निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा ।
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of india.	इस बिन्दु के क्रम मे इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय कि प्रश्नगत वन भूमि को किसी भी परिस्थिति मे किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को विना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नही किया जायेगा ।
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed Catchment area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के क्रम मे प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित क्षेत्र, की के0एम0एल0 , सी0ए0 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र , प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र, उपचार क्षेत्र, और डब्लू.एल0एम0पी0 क्षेत्र, को काम शुरू होने से पहले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणो के साथ ई–ग्रीन वाच पार्टल पर अपलोड किया जायेगा ।
24	Any order of Temporary work permission in linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office . Order of Temporary Work permission have to be uploaded on PARIVESH portal as well Nodal Offcer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के क्रम मे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के दिशानिर्देशो के अनुसार पेड़ काटने और कार्य शुरू करने के लिए अस्थायी कार्य अनुमति दिये जाने की सूचना प्रभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ तथा भारत सरकार को देते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा । उक्त अनुमति की निगरानी मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा कड़ाई से किये जायेगे तथा अनुमति आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी अनुमति के तहत कोई और गतिविधि नही की जाती है ।
25	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation)Act.1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.	इस बिन्दु के क्रम मे उक्त समस्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंधन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंधन माना जाएगा और भारत सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
26	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate Change may stipulate form time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के क्रम मे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समय–समय पर निर्धारित की जायेगी जिसका अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण पर बाध्यकारी होगा ।
27	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https/parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से संबंधित जमा होने योग्य समस्त धनराशि (एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि व Enrichment वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाय ।

28	The compliance report report on e-portal(sttps;/purivesh.nic.in)	इस बिन्दु के क्रम में परियोजना से संबंधित समस्त बिन्दुओ की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उससे संबंधित स्लिप की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाय

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग ,रेनुकूट

संख्या-1630 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , 17 राणा प्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।
3-जिलाधिकारी, सोनभद्र ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग ,रेनुकूट